



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127711

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19423 वर्ष 2026

समीउल्लाह उर्फ पप्पू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: परमेश्वर यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उ0प्र0 राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 79/2026 धारा 64(1), 333, 352, 351(3), 74 बी.एन.एस., थाना भिटौली, जिला महाराजगंज में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। पीड़िता एक शादीशुदा महिला है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। कथित घटना 13.04.2026 को हुई थी, जबकि एफआईआर 18.04.2026 को दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के बारे में अभियोजन पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। शुरू में, एफआईआर में बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान जब पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने आरोप लगाया कि आवेदक ने उसके

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए झूठा आरोप लगाया था। वास्तव में, पीड़िता अपनी मर्जी से शामिल थी और जब आवेदक पीड़िता के घर गया, तो पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। पीड़िता को कोई चोट नहीं आई थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक 06.05.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को ज़मानत देने की मांग का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के बारे में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, किसी आपराधिक इतिहास के न होने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाती है कि आवेदक ने ज़मानत पाने के लिए मामला बना लिया है।

6. तदनुसार, ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

7. आवेदक - समीउल्लाह उर्फ पप्पू, जो उपरोक्त मामले में शामिल है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और साक्ष्य के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर वह इस शर्त का पालन नहीं करता है, तो परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक को तय तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। यदि वह बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाज़िर रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके खिलाफ विधि के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को इन तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के सामने स्वयं मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमे की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) सीआरपीसी की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करते समय। अगर परीक्षण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी उचित कारण के गैर-हाज़िर रहा है, तो परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

8. ऊपर दी गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विद्वान परीक्षण न्यायाधीश की स्वतंत्र राय बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो गवाहों की गवाही पर आधारित होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून 2026

नितेन्द्र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।